कार्यवाही विवरण

मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Brownfield project in which addition of SAF (3.5 MVA x2 nos.) to produce Ferro Alloys (SiMn) 11,000 TPA and/or FeMn 17,000 TPA and/or FeSi 7,000 TPA and/or Pig Iron 27,000 TPA in place of existing Cast Iron 29,700 TPA and change in fuel of existing Captive Power Plant 7.5 MW (Coal and Dolochar fuel proposed instead of existing Biomass) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08/08/2025 को समय प्रातः 11.00 बजे, स्थान – कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 385/2 एवं 385/3 स्थित ग्राम–ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Brownfield project in which addition of SAF (3.5 MVA x2 nos.) to produce Ferro Alloys (SiMn) 11,000 TPA and/or FeMn 17,000 TPA and/or FeSi 7,000 TPA and/or Pig Iron 27,000 TPA in place of existing Cast Iron 29,700 TPA and change in fuel of existing Captive Power Plant 7.5 MW (Coal and Dolochar fuel proposed instead of existing Biomass) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 02/07/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 02/07/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित कराई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 08/08/2025 को समय प्रातः 11.00 बजे, कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 385/2 एवं 385/3 स्थित ग्राम–ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08/08/2025 को प्रातः 11:40 बजे, स्थान–कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 385/2 एवं 385/3 स्थित ग्राम–ठाकुरटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री रोहित अग्रवाल, डॉ0 प्रवीण कुमार साहू, एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई के द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका–टीप्पणीयां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजेन्द्र मौर्या, पंच, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव।**

   2010 तक रायपति नाम से पावर प्लांट चलता था। उस समय गाड़ारावण के नाम से सड़क दिया गया था, आज इस सड़क में 10 चक्का 12 चक्का गाड़ी चलती है। मेरा निवेदन है कि आज के दिनों में हमारा सड़क बहुत गन्दा हो गया है। हम किसी को बोलते हैं तो हमारे उपर चढ़ाई कर देता है। वर्ष 2020 में यहां पर एक डकैती हुआ था। हम लोग रात भर चौकीदारी करते थे। गाड़ी के नीचे कोई बच्चा न आ जाये। सड़कों की मरम्मत/ध्यान रखा जाये।

2. **श्री दिनदयाल साहू, ग्राम पटेल, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव।**

   ➢ फैक्ट्री बन जाता है बना लिया जाता है और उत्पादन भी करता है। हमारे गांव में 81 प्रतिशत किसानी करने वाले लोग हैं। फैक्ट्री से गन्दा पानी निकलता है। फैक्ट्री के समीप नाला है। हमारा कहना है कि फैक्ट्री से कोई गन्दा पानी न निकले। कोई भी धूल धुआं की समस्या न आये। जहां भी फैक्ट्री लगा है वहां के लोग इनकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाते हैं। फैक्ट्री लगने से यहां पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं फैक्ट्री लगने के पहले कितना पानी लगेगा इसका अनुमान लगा लिया जाये। कल के दिन में गांव के तालाब, डबरी से पानी नहीं लेना चाहिए। और यहां पर जो भी बात का निचोड़ मिलेगा उसकी एक प्रति हमको लिखित मिलेगा।

3. **श्री टीकम मण्डावी, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ फैक्ट्री लगाने से पहले वायु प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए। आपके द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था की गई है जो तीन प्रकार की केटेगिरी में की गई है। हमारे गांव के लोगों को आपने प्रशिक्षित नही किया है। हमारे गांव के लोगों को सेकेण्ड क्लॉस व थर्ड क्लॉस में नौकरी पर लेंगे। श्रमिकों की कंपनी में किसी कारण से दुर्घटना हो तो उन्हें क्या सुरक्षा मुहैया कराया जायेगा ? फैक्ट्री लगने से वातावरण दूषित होगा। इसका आने वाली पीढ़ी पर क्या दुष्प्रभाव होगा। शिक्षा आप कहां तक देंगे। आसपास के लोगों के बच्चों के लिये स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी इसका स्पष्टीकरण आपके द्वारा नही दी गई है। कंपनी जिस खसरे पर लगेगी वह हमारे ग्राम का जमीन है। हमारा निवेदन है कि पूरा बायोडाटा के साथ हमारे ग्राम पंचायत में सरल भाषा में दे जो बैठक के माध्यम से हम अवलोकन करेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। सरलीकरण भाषा में हमें एक प्रति प्रदान करें। उस पर विचार किया जायेगा।

4. **श्री मुकेश निर्मलकर, पंच वार्ड–14, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ सीएसआर की राशि हर साल मिलेगी वह हर साल मिलना चाहिए। कितना दूषित जल निकलेगा। इसका ब्यौरा होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि पर्यावरण के कारण किसानों की खेती बन्द हो। सीएसआर की जो राशि होगी क्षेत्र अनुसार जैसे स्वास्थ्य के लिये। धूल कितनी छोड़ेगे उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाये। फैक्ट्री के आने के पूर्व बच्चों को शिक्षित किया जाये एवं प्रशिक्षण दिया जाये ताकि आने वाले समय में उनको रोजगार मिल सके।

5. **श्री मोहन चंद्राकर, ग्राम–तोरनकटा, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ इसके पूर्व भी पावर प्लांट लगा चुका है जिसकी पीड़ा हम भुगत चुके हैं। 400 एकड़ क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित होता है हम खेती पर आधारित हैं। पर्यावरण का मापदण्ड जैसे धुआं एवं जल से कितना प्रभाव पड़ेगा उसका स्पष्ट मापदण्ड होना चाहिए। एनओसी जारी होने के पूर्व किसानों के मांगों एवं हितों का ध्यान रखा जाये।

6. **श्री जितेन्द्र कुमार चंद्राकर, वार्ड नंबर–9, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ मैं किसान हूं कृषि पर आधारित हूं। वर्ष 2006 में जब रायपति पावर प्लांट जब चालू हुआ था तब हम धूल से परेशान थे। धान पर धूल आती थी जिसके लिये आंदोलन किया गया व प्लांट को बन्द करवाया गया। नाले से पानी लेकर प्लांट चलाता था। खसरा 385/2 एवं 385/3 जब प्लाट खरीदा तब शासकीय नाला सीधा था उस नाले को बन्द कर बाहर नाला बनाया। हमारे नाले को अतिक्रमण किया गया। आगे अग्रवाल कंपनी क्या करेगी हमें नही मालूम। नाले से पानी खिचने नही दिया गया था। हमें प्रताड़ित किया गया था। अग्रवाल स्ट्रक्चर भी यही तो नही करेगा। नाले का पानी तो नही लेगा। नाले को प्रदूषित तो नही करेगा। इसे लिखित में दे। ऐसा कोई प्लांट नही है जिससे गन्दा पानी न निकले। हम कमल साल्वेंट भी देख रहे हैं। ये अग्रवाल प्लांट वाले बताये कि वो क्या करेंगे। आगे क्या होगा हमें ग्राम वालों अग्रवाल स्ट्रक्चर लिखित में दे। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। ये गन्दा पानी छोड़ेंगे कहां। दस फीट के नाले को बन्द करके 200 फीट का नाला बनाये हैं।

इसकी जांच होना चाहिए। लिखित में दे कि नाले का पानी नहीं खीचेंगे तथा नाले का रास्ता खोले, इसे लिखित में दे। जैसे ही किसानों ने सुना कि फिर से पावर प्लांट खुलने वाला है यहां के किसानों ने अपनी कृषि भूमि बेच दी। नाले का अतिक्रमण हटवायें। इस जगह पर एक शासकीय जमीन है। वर्ष 2002 – 2003 में इतनी दर्दनीय घटना हुई थी कि किसानों ने रायपति पावर को जमीन बेची। सबसे मुख्य है नाले से पानी नहीं खिचेगा, नाले में दूषित जल नहीं फेकेगा। आवागमन को प्रभावित नही करेगा। यहां का नाला मिलीभगत से ब्लॉक कर दिया गया है। रायपति पावर जब चालू हुआ था मैं अपने खेत में पेपर रख देता था, दूसरे दिन उस डस्ट का जमाव मिलता था। यहां 85 प्रतिशत कृषक हैं, उनके खेतों से डस्ट कौन हटायेगा। डस्ट से 15 क्विंटल ही धान होगी। यहां 1600 एकड़ रकबे का गांव है अब 200 एकड़ रकबा हो गया है। जब से रायपति पावर प्लांट नीलाम हुआ है और अग्रवाल स्ट्रक्चर चालू हुआ है तब से जमीन बिकना चालू हुई। अग्रवाल स्ट्रक्चर बताये कि गन्दा पानी कहां जायेगा। इससे 24 गांव प्रभावित होगा। वे अपने गन्दा पानी कहां रखेंगे, कहां वृक्षारोपण करेंगे, अग्रवाल स्ट्रक्चर बताये। जब पटवारी जमीन नापने आता है तो बोलते हैं कि आपकी जमीन 10 फीट नीचे है। नाला बन्द है तो खोला जाये। पावर प्लांट वालों ने एक पौधा नही लगाया। पहले वृक्षारोपण करो, जमीन चिहिंत करो फिर एनओसी देंगे। मैं एक किसान हूं। इस कंपनी से भी डस्ट पानी निकलेगा जिससे डेंगू आदि बिमारियॉ होंगी। अतः कंपनी जवाब दे।

7. **श्री श्यामलाल साहू, ग्राम–खुटेरी, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ ये नाला खुटेरी से जुड़ा है। प्रदूषित पानी इसी नाले से जायेगा। मेरे गांव में कमल साल्वेंट लगा है जिसका प्रदूषित पानी मेरे गांव में जाता है। आप उद्योग लगाओ कोई दिक्कत नही है लेकिन सारी व्यवस्थायें करके लगाओ। केवल फिल्टर से काम नहीं चलेगा। हमारे किसानों एवं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम भुगत रहे हैं कमल साल्वेंट प्लांट के प्रदूषित पानी से। ग्राम सुराज के माध्यम से मैंने शिकायत किया लेकिन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं देता। हमारे द्वारा प्रशासन को अवगत कराने पर भी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। बोला जाता है कि वो बहुत बड़ा उद्योगपति है। हमारे गांव में चारागाह को अधिग्रहण कर लिया गया था इसमें किसानों को दोषी बनाया गया व 24 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे किसानों को पकड़ा जाता है। पूरे गांव को पेशी में बुलाया जा रहा है।

8. **श्री गोपाल प्रसाद तामस्कर, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ अभी मेरे गांव के जितने भी भाई लोग बात रखा उससे मैं सहमत हूं। उसी से कहना चाहिए जो बात को सुने और मांगना उसी चाहिए जो खुशी से दे देता है।

9. **श्री अविनाश कुमार साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ गांव तथा क्षेत्र वालों के द्वारा जो भी बात रखी गई उन पर अमल करते हुए कंपनी को चालू करना है, नियम कानून के विरूद्ध कंपनी नही चलाया जाये। फेरो एलाय जो प्रारंभ किया जा रहा है उसके बारे में भी जनता को बताया जाये।

10. **श्री बृजभूषण साहू, ग्राम–तोरनकटा, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ मैं कृषि कार्य करता हूं। सबको रोजगार मिले ये हम लोग भी चाह रहे हैं। तोरनकटा, खुटेरी तथा ठाकुरटोला जो प्रदूषण जा रहा है वह खेती को प्रभावित कर रहा है। मोतीप्रसाद साहू का 6 एकड़ जमीन कंपनी से लगा हुआ है वह राजनांदगांव गंज मण्डी में 90 कट्टा धान लेकर गया था वह कंपनी के धुआं के कारण काला पड़ गया था। कंपनी से दूर तक प्रदूषण होगा। आज कंपनी के संबंध में बोलने बुलाया गया है, जब कंपनी लग जायेगा तो कोई भी बात नही सुनेगा। लोग आंदोलन करते हैं और जिलाधीश महोदय उनकी बात नही सुनते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। मैं चाहूंगा कि जितने भी किसान आसपास के हैं, कंपनी बताये कि प्रदूषण निकलेगा तो कहां तक जायेगा, किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उनकी फसल को कैसे बचाया जायेगा, जिलाधीश महोदय यहां पर उपस्थित हैं वे बताये कि ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे करेंगे। प्रदूषण से किसी भी आम जनता को भुगतना न पड़े।

11. **श्री रेखलाल साहू, उप सरपंच, ग्राम–तोरनकटा, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ यहां फैक्ट्री पहले भी लगा हुआ था जिससे आसपास के किसानों के एक तिहाई फसल का लाभ नही मिला। इस कंपनी में 200 लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन आसपास के 1600 किसानों के फसल बर्बाद होगी। यहां पानी तो नही है, पेयजल की गंभीर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन कार्यवाही करें यही निवेदन है।

12. **श्री हेमन्त कुमार साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम–खुटेरी, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ आज यहां पर लोक सुनवाई हो रहा है। विकास और विनाश एक ही सिक्के दो पहलू हैं। विकास होगा तो विनाश नही होना चाहिए। आज अपनी मन की बात सहजतापूर्वक रख सकते हैं। रोजगार के लिये प्राथमिकता यदि प्लांट स्थापित हुआ तो प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाये। प्रभावित क्षेत्र प्रदूषण का दंश झेलता है और बाहरी आदमी आकर सेट हो जाता है। किसान और जवान देश की रीढ़ है। कंपनी से निकलने वाले प्रदूषण लोगों को नुकसान न पहुंचाये। उद्योग किससे चलेगा जिससे इस क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण की मार न झेलना पड़े। कंपनी यदि स्थापित होता है तो पर्यावरण के नियम कानून का पालन करना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर यदि कंपनी को एनओसी दिया गया होगा। आसपास के लोगों को इस लोक सुनवाई में बात रखने के लिये आमंत्रित किया गया है।

13. **श्री नील निर्मलकर, ग्राम–खुटेरी, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ हमारे क्षेत्र में नलजल योजना के तहत झोला गांव में बनी एनीकट से 24 गांव को पेयजल मिलता है। ग्राम सांकरा में स्थित श्रद्धा राईस मिल का गन्दा पानी जाने से लोगों को बहुत समस्या हुआ। हम चाहते कि इस फैक्ट्री का पानी गांव में न जाये। हम अपनी समस्या राजनांदगांव अधिकारियों के पास लेकर जाते हैं तो हमें कई समस्यायें होती है, हम नही चाहते हैं कि हमें कोई प्रकार की समस्या हो।

14. **श्री रविकांत, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ मैं ग्रामसभा और सभी से अनुरोध करता हूं कि वो लिखित में दे की यह प्लांट चले।

15. **पुनः उद्बोधन श्री श्यामलाल साहू , ग्राम–खुटेरी, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ किसान भाईयों ने अपना पक्ष रख दिया अब जिला प्रशासन अपना पक्ष रखे और उद्योग अपना पक्ष रखे। और लिखित में दिया जाये। रोजगार में स्थानीय लोगों को रखा जाना चाहिए।

16. **श्री कन्हैयालाल साहू, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ यह जन सुनवाई केवल नाममात्र का है। यहां पर जितने बात रखा जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता है। यहां पर पहले कंपनी था तो डीहपारा पूरा काला काला हो जाता था। यहां टोलप्लाजा में स्थानीय लोगों को काम पर रखने की बात कही गई थी। पर आज केवल चार लोग ही काम में रखे गये हैं। टोलप्लाजा के पास अवैध कब्जा हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए।

17. **श्री सदाराम तामस्कर, ग्राम–ठाकुरटोला, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी बात को सुना जा रहा है यहां का प्रदूषण हमारे घर तक जाता है। आने वाले समय में भी हमारे बात रखी जायेगी तो हमारे बात को सुनना चाहिए।

18. **श्री अंगेश्वर देशमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम–टेड़ेसरा, जिला–राजनांदगांव ।**

➢ जितने भी लोग ने आज अपनी बात रखी उनसे मैं सहमत हूं। जितनी भी बात कही जाती है उतना बात अक्षरशः पालन होना चाहिए। कंपनी से जितने भी प्रदूषण होता है उसका नियंत्रण होना चाहिए। बैगाटोला के पास जयराम फॉस्फेट लगा हुआ है। उसका छः महिना तक बन्द रखने का अनुबंध हुआ था जिसका पालन नही होता है। कंपनी में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया नही जाता है। स्थानीय लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है। इसके लिये हमें संघर्ष करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि हम कोई भी बात रखते हैं तो उनको नियमानुसार प्रशासन अनुमति दे।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट डॉ0 प्रवीण कुमार साहू, एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ कंपनी में पानी सीएसआईडीसी रसमड़ा के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी।

❖ कंपनी के दूषित जल को ईटीपी के माध्यम से उपचारित किया जायेगा।

- ❖ शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- ❖ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था ईएसपी, बैग फिल्टर की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- ❖ शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी, कापी पुस्तक की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ सीएसआर में 2 करोड़ रूपये आबंटित की गई है जिससे स्थानीय क्षेत्र के विकास में खर्च किया जायेगा। सीएसआर मद आसपास के लोगों से मिलकर खर्च की जायेगी।
- ❖ रोड़ की व्यवस्था शासन, प्रशासन के साथ मिलकर की जायेगी।
- ❖ स्वास्थ्य शिविर आसपास के क्षेत्र में लगाया जायेगा।
- ❖ रोजगार में ठाकुरटोला के लोगों को लगाया जायेगा।
- ❖ लोगों को कार्य करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- ❖ वृक्षारोपण किया गया है और भी वृक्षारोपण किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 01 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 17 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा पुनः उद्बोधन) कुल 18 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 68 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए समय 01:37 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–राजनांदगांव
8/8/25